HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 279/2026
CNR: RJHC020089352026 | URN: SOSA / 578U / 2026

In

S.B. Criminal Appeal No-2401/2025

Kaushalraj @ Kaushal, S/o Babulal, R/o Bishanpura, P.s. Sadar, District Bundi. (At Present Confined In District Jail Bundi Raj.)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री जी.एल.चौधरी
For Respondent(s)	:	श्री सुदेश कुमार सैनी, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

29-07-2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय **विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 संख्या–1, बूंदी, राजस्थान** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–**32/2020 सरकार बनाम कौशलराज** में पारित निर्णय व दंडादेश क्रमशः दिनांक **23.08.2024** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अधिकतम बीस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है।

अपीलार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान दिनांक 30.12.2019 से 13.07.2020 तक अभिरक्षा में रहा है तत्पश्चात् वह जमानत पर रहा है । वर्तमान में वह् निर्णय की दिनांक 23.08.2024 से लगातार अभिरक्षा में है । उसकी अभिरक्षा अवधि लगभग तीन वर्ष होने को है। उनका यह भी तर्क रहा है कि पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श डी–1 तथा बयान अन्तर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श पी–8 में अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं दी है । पीड़िता व अभियुक्त के मध्य सहमति का मामला रहा है । एफ.एस.एल. रिपोर्ट अभियुक्त के विरूद्ध नहीं रही है । उनका यह भी तर्क रहा है कि पीड़िता की आयु के संबंध में विरोधाभास है। उनका तर्क रहा है कि अपील में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थी दोषमुक्त होने योग्य है। प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

परिवादी पक्ष की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नहीं है ।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श डी–1, बयान अन्तर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श पी–8, एफ.एस.एल.रिपोर्ट प्रदर्श पी–22 व विचारण के दौरान आयी अन्य साक्ष्य का अवलोकन किया । प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो

सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **01.09.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **कौशलराज उर्फ कौशल पुत्र बाबूलाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/35